

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 310/2021

1. सरीफ अली पुत्र रहमत अली जाति राठ मुसलमान साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. अजीज खां पुत्र रहमत अली जाति राठ मुसलमान साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— वादीगण

—:: बनाम ::—

1. रहमतअली पुत्र सुलेमान जाति राठ मुसलमान साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सलमा पुत्री रहमतअली जाति राठ मुसलमान साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन

—:निर्णय:—

दिनांक :- 21/10/24

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन किया जाता है:-

क. वादी सं. 1 :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
8 एलजीडब्ल्यू-बी	21/285	11, 12	0.506 हैक्.

ख. वादी सं. 2 :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
8 एलजीडब्ल्यू-बी	21/285	9, 10	0.506 हैक्.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 21/10/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

